

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 192] No. 192] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933

ृ[रा.रा.रा.क्षे.दि, सं. 210

DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

[N.C.T.D. No. 210

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 28 नवम्बर, 2011

सं. फा. 08/01/85-डीएसडब्ल्यू/स्था./15557-563.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम के साथ पठित सिंवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, समाज कल्याण विभाग की दिनांक 20 मार्च, 1989 की अधिसूचना सं. फा. 08/01/85-डीएसडब्ल्यू/स्था./13002 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किये गये या किये जाने के लिये हर्टाई गई बातों के संबंध को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अधीक्षक/सामंजस्य एवं मार्गदर्शी अधिकारी/सहायक पर्यवेक्षक (डब्ल्यू सी डब्ल्यू)/जिला परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी/योजना अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को अधीक्षक/सामंजस्य एवं मार्गदर्शी अधिकारी/सहायक पर्यवेक्षक (डब्ल्यू सी डब्ल्यू)/जिला परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी/योजना अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, वर्गीकरण इत्यदि.—उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पित/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शिक्त. जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. बचाव.—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपर्बोधत किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायनों पर कोई प्रभाव नहीं प्रदेगा ।

					4-1-00
दनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीद्वारों के लिए आयु-सीमा
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- / मधीक्षक/सामंजस्य एवं प्रागंदर्शी अधिकारी/ महायक पर्यवेक्षक डब्ल्यू सी डब्ल्यू)/	80*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समृह 'ख' राजपत्रित, अलिपिकीय	पे बैंड-2, 9300- 34800+ग्रेड पे 4600 रुपये	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी
जेला परिवीक्षा अधिकारी/ कल्याण अधिकारी/योजना अधिकारी/बाल विकास		22	0	8 8	कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। आयु-सीमा निर्धारित
रियोजना अधिकारी			El .		करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीद्वारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने
12			e e		की अंतिम तिथि है ता वि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर
	31 32	2	e e	29	नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू व कश्मीर राज्य व लद्दाख सब-डिवीजन
ui t			3,,	2	हिमाचल प्रदेश का लाहौत व स्पीति जिला तथा चम्ब जिले की पांगी सब
i.	#	u u	*		डिवीजन व अंडमान निकीबा द्वीप समूह, लक्ष्यदीप व उम्मीदवारों के लिए निर्धारिक
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों	से अपेक्षित शैक्षिक त	था अन्य योग्यताएं.			अंतिम तारीख नहीं है) लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यत वारों पर भी लागू होगी ?

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं. व्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी ?

(7)

(8)

अनिवार्य:—

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या गृह शैक्षिक योग्यता : नहीं, लेकिन किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम डिग्री धारक हो, या समकक्ष ।

(7)

(2) किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी अथवा सरकार/प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान में पर्यवेक्षीय पद पर दो वर्षीय प्रशासनिक अनुभव सहित समाज कार्य में चार वर्षीय अनुभव ।

टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

टीप 2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमतं से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभवना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

वांछनीय : हिन्दी का ज्ञान ।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत (10)(9)

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुवित/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है।

(11)

दो वर्ष 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर

25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

पदोन्नति :-

- (i) मूल संवर्ग/विभाग में पीबी-2 में 9300-34,800 रुपये + ग्रेड पे 4200 रुपये के वेतनमान में कल्याण अधिकारी/ परिवीक्षा अधिकारी/जेल कल्याण अधिकारी नियमित आधार पर इस नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित।
- (ii) मुल संवर्ग/विभाग में पीबी- 2 में 9300-34,800 रुपये + ग्रेड पे 4200 रुपये के वेतनमान में परिवेक्षक (महिला) ग्रेड-।, नियमित आधार पर इस नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित ।

टीप: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्ति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अईक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

टीप: पदोन्नित के लिये न्यूनतम अईक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 1-1-2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू संबद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)

(अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित ग्रेड/पद में निर्धारित अर्हता सेवा पूर्ण होने के संदर्भ सहिंत पदोन्ति के लिये योग्यता सूची तैयार की जायेगी ।)

प्रतिनियुक्ति:---

केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यं क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी :---

- (क) (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा
- (2) मूल संवर्ग/विभाग में 9300-34,800 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित पे बैंड-2 में ग्रेड पे 4200 रुपये या समकक्ष ।
- (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले । (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्ति की सीधी शृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेत् विचारणीय नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे) ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियक्ति की अविधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी ।

टीप : पदोन्ति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 1-1-2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तृतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू संबद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी । जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तरित है जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है ।

यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

(12)

(13)

1. ग्रंप 'ख' विभागीय पदोन्तित समिति (पदोन्ति पर विचारार्थ) :—

विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

-अध्यक्ष

2. विभाग का प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार

सदस्य

सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

^	(12)	18				34 - 45333345	
	 निदेशक (स.क.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 	—— —सदस्य		· ·			
-	 उप-निदेशक (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 	-सदस्य			285		10
	 अनु, जाति/अनु, ज. जाति समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी 	() () () () () () () () () ()		1	16		
	जो दिल्ली सरकार में ए.डी.एम./उप-सचिव के रैंक से कम	8%		5 3			16
183	न हो	- सदस्य		191		92f 92f	
. 2	. ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु)				18		2345
ì	. विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—अध्यक्ष		70	2 12	2	10
2	. विभाग का प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र						
	दिल्ली सरकार	— सदस्य		10 E	¥3	001	
3	निदेशक (स.क.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य			2.		
4.	उप-निदेशक (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य			\$1.50 \$1.50		
	10 11 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	M 1000 000	300000000 00000				

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को आदेश से तथा उनके नाम पर, संजीव कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 28th November, 2011

No. F. 8(1)/85-DSW/Estt./15557-563.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Social Welfare's Notification No. F. 8(1)/85-DSW/Estt./13002, dated 20th March, 1989, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules for the posts of Superintendents/Reconciliation-cum-Guidance Officer/Assistant Supervisor (WCW)/District Probation Officer/Welfare Officer/Planning Officer/Child Development Project Officer in the Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi, as following, namely:—

- 1. Short title and commencement,—(1) These rules may be called the Department of Social Welfare, Superintendents/Reconciliation-cum-Guidance Officer/Assistant Supervisor (WCW)/District Probation Officer/Welfare Officer/Planning Officer/Child Development Project Officer, Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay. —The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person,- -
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

		SCHEDUL	AC "		
Name of the post	Number of post		Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection or Non-selection post	On Age-limit for Direct Recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superintendents/ Reconciliation-cum- Guidance Officer/ Assistant Supervisor (WCW)/ District Pro- bation Officer/Welfare Officer (FAS)/Planning Officer/Child Develop- ment Project Officer	80* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group-E Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band- 3, Rs. 9300- 34800+ Grade Pay Rs. 4600	post	Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.)
	10 10	94		3.	Note: This crucial
			31		date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applica- tions from candi-
		w	N *		dates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,
, ° 2	72	is.	9	*	Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,
a a a	\`		<u>:</u>	3	Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divi- sion of Jammu and
T P m	٠	,	Di Ba		Kashmir State, Lahaul and Spiti District and
E E E	A	# %	2		Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh,
					Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Educational and other qualifications required for direct recruits	and e qualit prescr direct will ap	her age educational fications ribed for a recruits opply in the case omotees	Period o	w re pr de &	lethod of recruitment, hether by direct cruitment or by comotion or by eputation/absorption % of the vacancies
	or pro	7	# # <u>## **</u>		be filled by rious methods
(7)	<u> </u>	(8)	(9)		(10)
Essential: (i) Master's degree in Social Home Science or Sociology Development or Nutrition frognized University. (ii) 4 years experience in Socioloding 2 years administrative in a supervisory post in any G	or Child No, born a reco- at leas recogn ocial work or equ	Age: No tional Qualification: at should possess at a degree from a nised University aivalent.	2 year	fai de bo me 25	% by promotion iling which by putation falling the by direct recruitent, % by Direct recruitent.

(7)

semi-government or institution recognised by the Govt./Administration.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discussion of the UPSC for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable: Knowledge of Hindi.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

If a DPC exists, what is its composition

(12)

Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment

(11)

Promotion:

(i) Welfare Officer/Probation Officer/Prison Welfare Officer in scale of pay of 9300-34800 + Grade Pay 4200 in PB-2 with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

(ii) Supervisor (Women) Grade-I in the scale of pay of Rs. 9300-34800 + Grade Pay 4200 in PB-2 with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for probation to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the services rendered on a basis by an officer prior to 1-1-2006. The date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendation of the pay commission.

(The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of

I. Group B DPC (for considering promotion):

Development Commissioner,
Govt. of NCT of Delhi
 Chairman
 Administrative Secretary of the

Department, Govt. of NCT of Delhi

3. Director (Social Welfare), Govt. of NCT of Delhi

4. Deputy Director (Planning), Govt. of NCT of Delhi

5. An officer belonging to SC/ST community not below the rank of ADM/Deputy Secretary, GNCTD

in cases where SC/ST candidates are considered

II. Group B DPC (for considering confirmation):

1. Development Commissioner.

Govt. of NCT of Delhi

2. Administrativa Sepretary - 64

2. Administrative Secretary of the Department, Govt. of NCT of

Delhi
3. Director (Social Welfare),

Govt. of NCT of Delhi
4. Deputy Director (Planning)

4. Deputy Director (Planning), Govt. of NCT of Delhi --Member

-Member

-Member

Member

-Chairman

-Member

---Member

(13)

Consultation with UPSC necessary while making direct recruitment and filling the post by deputation. (11)

completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade/post.)

Deputation: Officer of the Central Government/State Government/Union Territory:

(A) (i) Holding analogous post on regular basis; or

- (ii) with 5 years service in the grade rendered afte appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 + Grade Pay 4200 in PB-2 or equivalent in the parent cadre/department, and
- (B) Possessing the educational qualification prescribed under column No. 7.

(The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall the bovervice rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extended only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

> By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, SANJIV KUMAR, Secy.